

आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

Arbitrationवाद सं०-208/2018

श्रीनिवास सिंह

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14-फारम सं०-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
25.01.2023	<p>वादी द्वारा NH-527 C (मझौली चरौत खंड के निर्माण हेतु मौजा-बाजितपुर बौरा, थाना-170, अचल-पुपडी, जिला-सीतामढ़ी में खाता सं०-680 के खेसरा सं०-875, 965, 972 एवं खाता सं०-865 के खेसरा सं०-1427, 1455, 1456, 1500, 2126, 2119, 2125 एवं 2154 से अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु निरूपित किस्म से असंतुष्ट होकर यह Arbitration वाद दिनांक-15.03.2019 को दायर किया गया है।</p> <p>वादी द्वारा समर्पित वाद पत्र में सुनवाई नहीं होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष CWJC No-1969/2022 समर्पित किया गया है, जिसमें दिनांक-21.03.2022 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश निम्न है:—"Parties agree that they shall make themselves available in the office of the arbitrator cum commissioner tirhut division, muzaffarpur on 4th april 2022 along with a copy of this order" उक्त के आलोक में वादी द्वारा त्वरित सुनवाई हेतु दिनांक-18.04.2022 को आवेदन पत्र समर्पित किया गया।</p> <p>वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वंशावली का उल्लेख किया गया है एवं वर्णित किया गया है कि अर्जित की जा रही भूमि पर उन्हीं का स्वामित्व है। वादी द्वारा यह भी</p>	

उल्लेखकिया है कि गलत प्रतिवेदन के आधार पर वास्तविक तथ्य व विधि के प्रतिकूल एवार्ड तैयारकियागयाहै, जोन्यायोचितनहींहै।वादी ने अपने वाद पत्र में अर्जित की जा रही भूमि को आवासीय एवं भीठ किस्म के अनुरूप मुआवजा राशि की गणना किये जाने संबंधी आवेदन पत्र समाहर्ता, सीतामढ़ी को समर्पित करने एवं उस पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का उल्लेख किया है। उनके द्वारा कुछ खेसरो पर अवस्थित पेड़ एवं तालाब का भुगतान नहीं होने का भी उल्लेख किया गया है।

दिनांक-23.01.2023 को उभय पक्षों ने सुनवाई के दौरान विस्तार से पक्ष रखा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गयाहैजिसमेंNHAI Act-1956की धारा-3G (5)के अधीन वादी द्वारा समर्पित वाद पत्र स्वीकार योग्य नहींहैबतायागयाहै,क्योंकि यहाँ मुआवजा राशि के निर्धारण के बजाय जमीन के वर्गीकरण पर विवादउठायागयाहै,जोArbitrator के समक्ष उचित नहीं है एवंNH Act-1956की धारा-3G (5)के अनुसारयह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

वादी ने दिनांक-24.01.2023 को लिखितअभिकथनउपलब्ध कराया,जिसमेंभीपुनः भूमि के वर्गीकरण तथा तालाब के चारो तरफ भीण्डा पर 500 यूकिलिप्टस का 40-50 मीटर लंबे पेड़ होने का उल्लेख किया है।

सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भूअर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारावादी के वाद पत्र के प्रत्युत्तर में अपने कार्यालय पत्रांक-72 दिनांक-23.01.2023 से प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें वर्णित किया गया है कि अर्जित भूमि का 3D गजट प्रकाशन के अनुरूप वर्ग-2 (भीठ-02/धनहर-02) मानते हुए भूमि का मूल्यांकन किया गया है न कि धनहर-03 के अनुरूप अधिगृहित की गयी है। अपने प्रतिवेदन में उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि प्लॉट सं0-1455 एवं 1427 पर लगे वृक्षों एवं प्लॉट

	<p>सं०-2119 एवं 2125 पर स्थिति तालाब का मूल्यांकन करालिया गया है, जिसकी स्वीकृति NHAI से प्राप्त है। एक सप्ताह के अंदर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करने का उल्लेख है। उक्त पत्र के कंडिका-03 में उल्लेख है कि उक्त मामलों में MORTH के दिनांक-28.12.2017 के निदेशानुसार भूमि की प्रकृति 3A अधिसूचना के दिन राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रकृति के अनुसार निर्धारित होगी। प्रकृति/प्रकार के लिए उपलब्ध राजस्व अभिलेख खतियान होता है उसी के अनुसार भूमि का मूल्यांकन किया जाता है। कंडिका-04 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-150/रा० दिनांक-15.02.2018 में निर्गत स्पष्टीकरण (4) के अनुसार भूमि का वर्गीकरण प्रारंभिक अधिसूचना के समय उनके वर्तमान उपयोग के आधार पर किया जाये। कंडिका-05 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-150/रा० दिनांक-15.02.2018 में निर्गत स्पष्टीकरण-05 के अनुसार कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के अतिरिक्त RFCTLARR-2013 की धारा-3 (d) में वर्णित अन्य कार्यों के लिए किये जाने की स्थिति में भूमि का स्वरूप कृषि मानकर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाये। कंडिका-06 में स्टॉम्प एक्ट एवं निबंधन अधिनियम या उससे संबंधित कोई नियमावली विभागीय परिपत्र भूअर्जन अधिनियम या उसकी नियमावली को खंडित नहीं करता है जैसा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-530/रा० दिनांक-12.04.1993 से स्पष्ट है।</p> <p>वादी द्वारा अपने वाद पत्र में स्वयं वर्णित किया गया है कि अर्जित की जा रही भूमि पर खेती, तालाब एवं वृक्ष अवस्थित है, जिसका समर्थन सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भूअर्जन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से भी होता है।</p> <p>इस संबंध में Ministry of Road transport and highway Government of India के पत्रांक-NH-</p>	
--	---	--

	<p>1101/30/2015-LAदिनांक-28.12.2017 के कंडिका-10 में उल्लेखित प्रावधान है:-</p> <p>Competent authority for land acquisition (CALA) and due diligence at the time of determination of compensation amount by the competent authority.</p> <ul style="list-style-type: none">• Certain undesirable practices have come to notice of the Central Government. These include change in the nature of land or adoption of incorrect classification of land for determination of market value of land. it may be noted that the nature of land has to be taken as recorded in the revenue records on the day of publication of section-3A notification. for instance, if some landowner/interesto person has raised a factory building or a commercial building upon the land under acquisition without obtaining the "Change in Land use" from the competent authority prescribed by the State Government, he/she cannot take the benefit of treatment of such land as industrial" or "commercial" therefore, due diligence has to be exercised by the CALA while determining the land use/nature of land and working out the market value of land. The CALA, while announcing the award under section 3G, shal append a certificate at the end of his award that he/she has strictly followed the legal provisions and these guidelines in determination of the compensation amount.	
--	---	--

	<p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन सुनवाई के दौरान दी गयी दलीलों एवं सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भूअर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी का पत्रांक-72 दिनांक-23.01.2023, Ministry of road transport and highways, Government of India का पत्रांक-NH-11011/30/2015-LAदिनांक-18.12.2017एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भूअर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा भुगतान संबंधी पारित आदेश नियमानुकूल है। इसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>अतः निम्न न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को सम्पुष्ट करते हुए वाद पत्र अस्वीकृत किया जाता है तथा वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	
	आयुक्त	आयुक्त